बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–: : आदेश : :–

आदेश सं०–27 / आरोप–01–104 / 2021–सा0प्र0.....पटना–15, दिनांक.....

मो0 नुरूल ऐन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1236 / 2011, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली के विरूद्ध तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली के पत्रांक–684–1 दिनांक–17.08.2021 के माध्यम से श्रीमती दुलारी देवी, मुख्य पार्षद नगर पंचायत, निर्मली के विरूद्ध लाए गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली, 2010 में स्पष्ट प्रावधान रहने के बावजूद अनावश्यक रूप से विभागीय मार्गदर्शन की मांग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक–804 दिनांक–21.01.2022 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से मो0 नुरूल ऐन के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1312 दिनांक–24.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मो0 नुरूल ऐन से प्राप्त स्पष्टीकरण के क्रम में संबंधित तथ्यों की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मो0 ऐन तत्समय मूल रूप से भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली के पद पर पदस्थापित थे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली का पदस्थापन नहीं रहने के कारण मो० ऐन अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिनांक–27.04.2021 के प्रभाव से कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। नगर पंचायत निर्मली के वार्ड पार्षदों द्वारा मुख्य पार्षद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु दिनांक 16.08.2021 की अधियाचना को मुख्य पार्षद द्वारा अस्वीकृत कर देने तथा उसी दिन पुनः पार्षदों द्वारा अधिनियम की धारा 48 (3) के अंतर्गत 72 घंटे के अंदर दिनांक 20.08.2021 को मुहर्रम पर्व के अवकाश के दिन बैठक पर अडिग रहने के चलते उनके द्वारा विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी थी। उन्हें पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने के क्रम में उत्पन्न समस्या का सामाधान भी उनके द्वारा कर लिया गया था। मो० एन द्वारा मांगा गया मार्गदर्शन परिस्थितिवश उत्पन्न कठिनाईयों को हल करने के उद्देश्य से था। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा विचारोपरांत उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए भविष्य हेतु चेतावनी देते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र एवं उनके द्वारा की गयी अनुशंसा की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत मो0 नुरूल ऐन को चेतावनी देते हुए इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः मो0 नुरूल ऐन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1236 / 2011, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली को चेतावनी देते हुए इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह०/–
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27 / आरोप–01–104 / 2021–सा0प्र0.....8307.....पटना–15, दिनांक.....12:5:26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सुपौल / मो0 नुरूल ऐन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1236 / 2011, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली, सुपौल सम्प्रति बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगुसराय / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12-05-26

सरकार के अवर सचिव।